प्रकरण संख्या 8/2022 खुमाणसिंह बनाम श्रीमती नोजी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.07.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दवेर में आराजी नंबर 938 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है, जो 1350 फसली में पन्नासिंह के नाम दर्ज चली आ रही है। पन्नासिंह तथा वादी के पूर्वज एक ही पूर्वज की संतान होकर पन्नासिंह जी वादी के बड़े भाई लगते हैं तथा उक्त भूमि पारिवारिक बंटवारे में वादी के हिस्से में आयी है, जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, किन्तु वक्त सेटलमेन्ट सहवन से उक्त भूमि से वादी के पूर्वजों का नाम हटाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के नाम दर्ज कर दिया गया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के नाम दर्ज हो जाने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 को तथा प्रतिवादी संख्या 10 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 को विक्रय कर दिया है, जिससे प्रतिवादी संख्या 12 व 13 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के नाम दर्ज हो जाने से वह भूमि का आगे बेचान करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.10.2021 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12.04.2022 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बि[illegible] वादी/अपील[illegible]ति के प्रकरण कैम्प कोर्ट में रखकर वादी को [illegible]ना [illegible] वाद खारिज कर दिया, जो विधि विरुद्ध [illegible] है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा अपने पूर्व[illegible] के समय से चला [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:52 IST
Reason: SelfAttested

रहा है, किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान सहवन से भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी है, लेकिन इस ओर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है एवं बिना अपीलान्ट को सुने कैम्प में एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रकरण विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारों की सहमति में प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर वादी/अपीलान्ट की अनुपस्थिति में वाद मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि "प्रकरण में वर्णित भूमि अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादी सवर्ण जाति का व्यक्ति होकर केवल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाहता है।" अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/वादी को सुनवाई का बिना अवसर दिये उसका वाद खारिज कर दिया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.10.2021 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.09.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:55:53 IST
Reason: SelfAttested

(अ...ीता मीना)
भू... अधिकारी
एवं पदेन ... अधिकारी
उदयपुर